न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– जोगेन्द्र सिंह, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर 74/2025 राजस्व वाद

01. बन्ना पुत्र श्री प्रताप गुर्जर आयु वयस्क निवासी– रतनपुरा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

——— वादी

बनाम

01. ज्वारा पुत्र श्री भोजा गुर्जर आयु वयस्क निवासी– रतनपुरा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. माधु पुत्र श्री भोजा गुर्जर आयु वयस्क निवासी– रतनपुरा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
03. भागु पुत्र श्री प्रताप गुर्जर आयु वयस्क निवासी– रतनपुरा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
04. भोजा पुत्र श्री प्रताप गुर्जर आयु वयस्क निवासी– रतनपुरा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
05. कंकू पुत्री श्री प्रताप गुर्जर आयु वयस्क निवासी– रतनपुरा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
06. मांगी पुत्री श्री प्रताप गुर्जर आयु वयस्क निवासी– रतनपुरा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
07. लाडू पुत्री श्री प्रताप गुर्जर आयु वयस्क निवासी– रतनपुरा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
08. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0)

—— प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा– 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत कब्जा दिलाये जाने हेतु.

उपस्थित :–

1. श्री मुकेश कुमार जैन ——अधिवक्ता प्रार्थी/वादी
2. एकपक्षीय– ——प्रतिवादी संख्या 01 से 07
3. पेरोकार सरकार —अधिवक्ता–प्रतिवादी संख्या 08

:: निर्णय :: दिनांक– 17/06/2025

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध धारा 183 आर.टि.एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद रतनपुरा पटवार हल्का निम्बाहेड़ा जाटान द्वितीय भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र निम्बाहेड़ा जाटान तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे आराजी नम्बर 683 रकबा 0.4553 हैक्टयर, आराजी नम्बर 784/680 रकबा 0.5438 हैक्टयर , आराजी नम्बर 785/680 रकबा 0.2782 हैक्टयर भूमि स्थित है, जो कि राजस्व रेकार्ड मे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 03 लगायत 07 के नाम पर खातेदारी हक अधिकार से दर्ज चली आ रही है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 03 लगायत 07 वादपत्र की चरण संख्या 01 मे वर्णित आराजीयात पर काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है तथा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 03 लगायत 07 ने उक्त आराजी की पत्थरगढी कराने हेतु एक प्रार्थनापत्र न्यायालय श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय, करेड़ा जिला भीलवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत किया जिसके प्रकरण संख्या 5/2019 राजस्व प्रार्थनापत्र कायम हुए, जिसका निर्णय दिनांक 12 बारह जनवरी 2019 को हुआ, जिसकी जानकारी प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 02 दो को होने पर माह अप्रेल 2019 दो हजार उन्नीस मे आराजी नम्बर 683, 784/680 , 785/680 मे से 02 बीघा 05 बिस्वा पर प्रतिवादी संख्या 01 एवं 02 द्वारा कब्जा कर लिया, जिससे दिनांक 01 एक मई 2019 दो हजार उन्नीस को उक्त आराजी पत्थरगढी गिरदावर व पटवार हल्का द्वारा मौका निरीक्षण कर की गयी, जिसमे प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 02 का उक्तानुसार अवैध कब्जा पाया गया। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 03 लगायत 07 की आराजी से प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 02 का कोई हक अधिकार नही है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 03 लगायत 07 ने प्रतिवादी संख्या 01 एक एंव 02 को कई बार वादपत्र की चरण संख्या 01 एक मे वर्णित आराजीयात पर किये गये कब्जे को छोडने हेतु कहा लेकिन प्रतिवादी सख्या 01 एक एवं 02 नो ने कोई ध्यान नही दिया व अन्तिम बार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 03 लगायत 07 ने दिनांक 05 पांच अप्रेल 2025 दो हजार पच्चीस को उनके द्वारा भूमि पर किये गये कब्जे को छोड़कर, उक्त भूमि का कब्जा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 03 लगायत 07 को सिपुर्द करने हेतु कहा तो प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 02 वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 03 लगायत 07 के साथ लडाई झगडा करने पर आमादा हो गया तथा प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 02 ने वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 03 लगायत 07 को धमकी दी कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 03 लगायत 07 की मर्जी आये जो कर लेना , प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 02 दो उक्त आराजीयात से कब्जा नही छोडेगे तथा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 03 लगायत 07 प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 02 दो का कुछ नही बिगाड सकता है। इस कारण से वादी को

उपखण्ड अधिकारी पद
[illegible]

यह वादपत्र पेश करने की नौबत पेश आयी है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 03 लगायत 07 के पक्ष मे एवं प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 02 दो के विरूद्व इस आशय की कब्जेयाबी की डिक्री सादिर फरमायी जाना आवश्यक है कि सरहद रतनपुरा पटवार हल्का निम्बाहेड़ा जाटान द्वितीय भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र निम्बाहेड़ा जाटान तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे आराजी नम्बर 683 रकबा 0.4553 हैक्टयर, आराजी नम्बर 784 / 680 रकबा 0.5438 हैक्टयर , आराजी नम्बर 785 / 680 रकबा 0.2782 हैक्टयर मे से 02 बीघा 05 बिस्वा पर प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 02 का कब्जे को हटाकर पुनः वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 03 लगायत 07 को सिपुर्द कराया जाना न्यायोचित एव आवश्यक है।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक नोटिस जारी किया गया . लेकिन बावजूद सूचना के उपस्थित नही होने से एकपक्षीय कार्यवाही की गयी। वादी द्वारा साक्ष्य स्वरूप शपथपत्र पेश किया गया व जमाबंदी की नकल व मौका पर्चा रिपोर्ट प्रदर्शित करवाये गये।

वादी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। प्रकरण मे उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व अधिवक्ता वादी द्वारा अपने वादपत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए वादपत्र को डिक्री करने का निवेदन किया गया।

मैने पक्षकारान के अधिवक्ता की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया , पटवार हल्का एवं भू अभिलेख निरीक्षक की पत्थरगढ़ी आदेश पर तैयार किये गये पर्चा मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया, मौका रिपोर्ट मे भी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 03 लगायत 07 की खातेदारी भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 02 का अवैध कब्जा पाया गया। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वादपत्र स्वीकार योग्य ठहरता है। अत एव

:: आदेश ::

वादी का वादपत्र स्वीकार कर पत्थरगढ़ी पर्चा मोका रिपोर्ट अनुसार प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 02 ने सरहद रतनपुरा पटवार हल्का निम्बाहेड़ा जाटान द्वितीय भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र निम्बाहेड़ा जाटान तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे आराजी नम्बर 683 रकबा 0.4553 हैक्टयर, आराजी नम्बर 784 / 680 रकबा 0.5438 हैक्टयर , आराजी नम्बर 785 / 680 रकबा 0.2782 हैक्टयर मे से 02 बीघा 05 बिस्वा पर प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 02 का द्वारा किये गये कब्जे को हटाया जाकर वादी को सिपुर्द कराया जावे। इस निर्णय की पालना मे तहसीलदार, करेड़ा को तहरीर जारी कर पालना सुनिश्चित कराई जावें व तदनुसार डिक्री जारी हो।खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे।

यह निर्णय आज दिनांक 17.06.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(जोगेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी पदेन
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)